2024/318

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रोहित कुमार मारू निवासी प्लॉट नं. 44 श्रीयादे कॉलोनी, रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 72 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 14.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील रेवदर से सेवानिवृत चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी श्री रावुराम पुत्र श्री रामाराम जाति सरगरा निवासी झुपाघाट सिरोही की नियुक्ति तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति तक सम्पूर्ण सर्विस रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति एवं जी.पी.एफ., एस.आई. एवं अन्य कटौतियों का विवरण जिसमें कुल जमा राशि एवं भुगतान की गई राशि का सम्पूर्ण विवरण हो एवं पेंशन प्रकरण भेजा गया उस पेंशन कुलक की प्रमाणित प्रति एवं कार्मिक के परिवारों के सदस्यों का विवरण एवं प्रोविजनल पेंशन जारी करने का कारण सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 14.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील रेवदर से सेवानिवृत चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी श्री रावुराम पुत्र श्री रामाराम जाति सरगरा निवासी झुपाघाट सिरोही की नियुक्ति तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति तक सम्पूर्ण सर्विस रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति एवं जी.पी.एफ., एस.आई. एवं अन्य कटौतियों का विवरण जिसमें कुल जमा राशि एवं भुगतान की गई राशि का सम्पूर्ण विवरण हो एवं पेंशन प्रकरण भेजा गया उस पेंशन कुलक की प्रमाणित प्रति एवं कार्मिक के परिवारों के सदस्यों का विवरण एवं प्रोविजनल पेंशन जारी करने का कारण सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐ [illegible] अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक [illegible] शित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई [illegible] तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो [illegible] स्पेसीफिक आदेश पारित कर [illegible] ट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:43:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner